संख्या-257/2023/3334/22-2-2022-17(279)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 29 मई, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पू पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए/लाससेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-30519/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-29-08-2022) दिनांक-27-09-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पू पुत्र श्री हरी सिंह, जो ग्राम-अलमासपुर, थाना-नई मण्डी, जनपद- मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक-25-05-1995 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पाताराम के 06 वर्षीय पुत्र विपिन की फिरौती एवं हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण किया तथा हत्या कर शव को नाले की तरफ फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-55/1996 में धारा-364ए/34, 302/34, 201/34 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट नं0-2, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक-07-02-2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-20-03-2022 तक 23 वर्ष, 05 माह, 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष 10 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने में अशक्त नहीं होने, निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के आधार पर बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी नें दिनांक-25-05-1995 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पाताराम के 06 वर्षीय पुत्र विपिन की फिरौती एवं हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण किया तथा हत्या कर शव को नाले की तरफ फेकने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पप्पू पुत्र श्री हरी सिंह को फार्म ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पू (बन्दी संख्या-13003) पुत्र श्री पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी जनपद- मुजफ्फरनगर के फार्म-ए/लाइसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-257/2023/3334(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-257/2023/3334/22-2-2022-17(279)/2020

दिनांक 29 मई, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पू पुत्र श्री हरी सिंह, जो ग्राम-अलमासपुर, थाना-नई मण्डी, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक-25-05-1995 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पाताराम के 06 वर्षीय पुत्र विपिन की फिरौती एवं हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण किया तथा हत्या कर शव को नाले की तरफ फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-55/1996 में धारा-364ए/34, 302/34, 201/34 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट नं0-2, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक-07-02-2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-20-03-2022 तक 23 वर्ष, 05 माह, 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष 10 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने में अशक्त नहीं होने, निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के आधार पर बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी नें दिनांक-25-05-1995 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पाताराम के 06 वर्षीय पुत्र विपिन की फिरौती एवं हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण किया तथा हत्या कर शव को नाले की तरफ फेकने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पप्पू पुत्र श्री हरी सिंह को फार्म ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।